

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थीगण
परमेश्वरलाल पुत्र चालीयन पार आग-६५५	नी म	
राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
प्रार्थना-पत्र नम्बर	६५४ / 2021	GCMS No. 2021/736
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15/11/2021	<p>प्रार्थी श्री <u>परमेश्वरलाल</u> पुत्र <u>चालीयन</u> जाति <u>भार</u> निवासी <u>आग-६५५</u> आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>आग-६५५</u> ने एक प्रार्थना-पत्र पेश कर ग्राम <u>आग-६५५</u> पटवार मण्डल <u>आग-६५५</u> के के खाता नम्बर <u>322</u> में प्रार्थी का नाम <u>परमेश्वर पुत्र चालीयन</u> दर्ज है जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम <u>परमेश्वरलाल</u> पिता <u>चालीयन</u> है। साक्ष्य तौर पर प्रार्थी द्वारा परिवार राशन कार्ड नम्बर <u>-</u> आधार नम्बर <u>६५५५३११६९८५</u> मतदाता पहचान पत्र <u>-</u> की छाया प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम <u>परमेश्वरलाल</u> पिता <u>चालीयन</u> दर्ज है जो शुद्ध है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी <u>आग-६५५</u> भू.अ.नि. <u>पुनियन</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का नाम <u>परमेश्वरलाल</u> पिता <u>चालीयन</u> शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम <u>आग-६५५</u> के खाता नम्बर <u>322</u> में प्रार्थी का नाम <u>परमेश्वर</u> पिता <u>चालीयन</u> के स्थान पर नाम <u>परमेश्वरलाल</u> पिता <u>चालीयन</u> राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	

508/52